भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3235
जिसका उत्तर शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को दिया जाना है

विधायी सुधारों में प्रगति

3235. श्री बलराम नाइक पोरिका :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधायी सुधारों के संबंध में हुई प्रगति, कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए नए कानूनों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति क्या है ;

(ख) प्रोत्साहित किए गए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों (मध्यस्थता और विवाचन) का ब्यौरा क्या है और सुलझाए गए मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) संविदा प्रवर्तन और विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता संबंधी मापदंडों में भारत की रैंकिंग पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) क्या न्यायिक अवसंरचना के विकास और समय पर न्याय देने की प्रक्रिया के संबंध में कोई कार्यनिष्पादन संपरीक्षा आयोजित की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : हितधारकों की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, कारबार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए संबंधित सुधारों के साथ-साथ विधायी और नीतिगत हस्तक्षेप सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक सतत प्रक्रिया है। सरकार विभिन्न अधिनियमितियों के अधीन छोटे उल्लंघनों के अपराधीकरण को कम करने और उन्हें अधिक आनुपातिक सिविल शास्ति और प्रशासनिक तंत्र से बदलने के लिए कदम उठाना जारी रखती है। इस संबंध में, विधि को अधिक संतुलित और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता को पहचानते हुए, सरकार ने उपबंधों की समीक्षा करने की प्रक्रिया आरंभ की है । इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जन विश्वास

(उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2023 था, जिसने कई केंद्रीय विधियों में कई छोटे अपराधों के लिए शास्ति को हटा दिया है। इसके अनुसार, जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026, को 8 अप्रैल 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जो 23 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में उपबंधों को युक्तिसंगत बनाता है। सुधारों का उद्देश्य विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा देना, अनुपालन बोझ को कम करना, कारबार करने में आसानी में सुधार करना और आनुपातिक नियामक प्रवर्तन सुनिश्चित करना है।

(ख) : सरकार देश में मध्यस्थम् और मध्यस्थता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को बढ़ावा देना जारी रखा है, क्योंकि ये तंत्र कम विरोधी हैं और विवादों को हल करने के पारंपरिक तरीकों के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं। सरकार इन तंत्रों को मजबूत करने और उन्हें अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए नीतिगत तथा विधायी हस्तक्षेप कर रही है।

इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा वर्षों से उठाए गए प्रमुख पहल, कदम और उपायों में मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 शामिल हैं, जिसे मध्यस्थम् परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ तालमेल बैठाने और मध्यस्थम् को एक लाभप्रद विवाद समाधान तंत्र के रूप में सक्षम करने के लिए वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में उत्तरोत्तर संशोधित किया गया है। संशोधनों का उद्देश्य मध्यस्थम् कार्यवाही का समय पर समापन, मध्यस्थों की तटस्थता, मध्यस्थ प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना, मध्यस्थता पंचाटों का प्रभावी प्रवर्तन और संस्थागत मध्यस्थम् को बढ़ावा देना सुनिश्चित करना है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को वर्ष 2018 में संशोधन किया गया था ताकि अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व-संस्थागत मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान किया जा सके। इस तंत्र के अधीन, जहां विनिर्दिष्ट मूल्य का कोई वाणिज्यिक विवाद किसी भी तत्काल अंतरिम अनुतोष की परिकल्पना नहीं करता है, वहां पक्षकारों को न्यायालय में पहुंचने से पहले पीआईएमएस के अनिवार्य उपचार का प्रयोग करना होगा। इसका उद्देश्य पक्षकारों को मध्यस्थता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों को हल करने का अवसर प्रदान करना है।

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 को संस्थागत मध्यस्थता की सुविधा के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्व स्तरीय निकाय बनाने के प्रयोजन से भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना के लिए और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। केंद्र की स्थापना तब से की गई है और इसका उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक तटस्थ विवाद समाधान मंच प्रदान करके घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पक्षों के बीच विश्वास को प्रेरित करना है।

मध्यस्थता अधिनियम, 2023, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता के तत्वावधान में विवाद करने वाले पक्षों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यस्थता के लिए विधायी ढांचे को निर्धारित करता है, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के मध्यस्थता पर स्वतंत्र विधि उपबंधित करने और न्यायालय

के बाहर विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटान की संस्कृति के विकास को सक्षम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी हस्तक्षेप होने की भी उम्मीद है।

इसके अतिरिक्त, समय-समय पर उपरोक्त हस्तक्षेपों ने एडीआर परिदृश्य में सुधार और मजबूती लाने, कारबार करने में आसानी का समर्थन करने और देश को निवेश और आर्थिक विकास के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में देखने में योगदान दिया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन गठित प्राधिकरण मध्यस्थता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को भी बढ़ावा दे रहे हैं। ये प्राधिकरण विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और न्यायालय से जुड़े मध्यस्थता के साथ-साथ पूर्व संस्थागत मध्यस्थता को मजबूत करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं।

पिछले दो वर्षों में मध्यस्थता के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा निपटाए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	निपटाए गए मामले
2024-25	98,406
2025-26	2,25,647

(ग) : भारत ने अपने कारबार नियामक वातावरण में सुधार के लिए पिछले वर्षों में निरंतर सुधार किए हैं। सरकार का ध्यान धीरे-धीरे अनुपालन-भारी प्रणाली से सुविधा-संचालित पारिस्थितिकी तंत्र की ओर स्थानांतरित हो गया है। सुधारों का उद्देश्य प्रक्रियाओं में गति, पारदर्शिता और विश्वास-आधारित शासन को बढ़ाना है। परिणामस्वरूप, इससे भारत के कारोबारी माहौल में निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार हुआ है।

24 अक्टूबर, 2019 को विश्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020 में, कुल मिलाकर भारत 190 देशों में से 63वें स्थान पर है। 2014 से, भारत की रैंक 142 से बढ़कर 2019 में 63 हो गई है। तथापि, विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2020 में ईओडीबी अभ्यास बंद कर दिया गया था।

(घ) : जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना का नियमित रूप से विभागीय संसदीय स्थायी समिति और आंतरिक लेखा परीक्षा टीमों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, योजना के विस्तार के समय नीति आयोग के तत्वावधान में तीसरे पक्ष द्वारा योजना का मूल्यांकन किया गया है। नवीनतम तीसरे पक्ष की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया है कि योजना बुनियादी ढांचे के विकास के अपने उद्देश्य को राष्ट्रीय नीतियों, सतत विकास लक्ष्यों और अपने लाभार्थियों की जरूरतों के साथ दृढ़ता से जोड़कर उच्च सुसंगतता प्रदर्शित करती है। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट

में उल्लेख किया गया है कि उच्चतर न्यायालय कक्ष घनत्व वाले जिलों में औसत मामले की लंबितता में 3-8% की गिरावट दर्ज की गई है और आगे प्रकाश डाला गया है कि जिला न्यायालयों में मामले के समाधान के समय में 16% की कमी आई है, जो 3.1 वर्ष से घटकर 2.6 वर्ष हो गई है ।
